www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 16.01.2017

सीबीआई ने व्यापम से सम्बन्धित मामले में चार आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया

सीबीआई ने विशेष दण्डाधिकारी की अदालत, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में उम्मदीवार एवं साल्वर सहित चार आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी एवं मध्य प्रदेश मान्य परीक्षा अधिनियम, 1937 की धारा 3 व 4 (डी) के तहत आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने पुलिस सि□पाही भर्ती परीक्षा (द्वितीय)-2013 में परनाम धारण द्वारा धोखाधड़ी के आरोप पर कम्पू पुलिस स्टेशन, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में पूर्व में दर्ज मामले को माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश पर जॉच के लिए अपने हाथों में लिया। ऐसा आगे आरोप था कि सॉल्वर, आरोपी उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में उपस्थित हुआ। सॉल्वर ने आरोपी उम्मीदवार का फोटो पहचान पत्र भी ले रखा था। परीक्षा कक्ष में सत्यापन के दौरान, जैसे साल्वर का चेहरा रासा (RASA) शीट में फोटो से मेल नही हुआ वैसे ही उसको निरीक्षक के द्वारा पकड़ा गया।

अदालत ने चार आरोपी व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा एवं दिनांक 25.01.2017 को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जॉच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****